पत्रांक – मं०मं०–01–आर०–14/2008.–.978

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–12, अगस्त, 2015

विषय :– मंत्रिपरिषद् की बैठकों में अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराये जाने वाले संलेख एवं एतद्संबंधी प्रस्तावों के सम्बंध में आवश्यक निदेश।

महाशय,

प्रायः देखा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद् की बैठकों में अनुमोदन हेतु जो संलेख मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को भेजे जाते हैं, वे विभागीय प्रधान सचिव/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होते हैं, अपितु संबंधित विभाग के विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। इस प्रसंग में यह सुनिश्चित कराया जाय कि विभागीय प्रधान सचिव/सचिव की अनुपस्थिति में ही उस विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी संलेख पर हस्ताक्षर करेंगे।

2. कई बार मंत्रिपरिषद् की बैठकों में उपस्थापनार्थ संलेख बैठक आरम्भ होने के क्षण तक विभिन्न विभागों से प्राप्त होते रहते हैं, जबकि पूर्व से ही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा अनेक विभागीय पत्रों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार तक संलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध आप सब से किया गया है। भविष्य में प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार तक संलेखों को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में उपलब्ध कराये जाने के निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित कराया जाय।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

11/8/15

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।